

वन अधिष्ठाता अधिनियम 2006 दिनांक 04-05-2015
अनुश्रुति जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन
अधिष्ठाता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय
समिति उपखण्ड सीकर की बैठक उपखण्ड अधिष्ठाता सीकर की
अध्यक्षता में दिनांक 04 मई 2015 को आयोजित की गई जिसमें
सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही

उपस्थिति

- 1 उपखण्ड अधिष्ठाता सीकर
- 2 महेश कुमार रेजर
- 3 श्री मोहन कुमार श्रीणा कृष्णसदस्य वन विभाग
- 4 श्रीमती चम्पादेवी
- 5 श्री विजय सिंह
- 6 श्री सुल्तान सिंह मण्ड पाषाण नगर परिषद सीकर
- 7 श्री मोहम्मद जावेद
- 8 श्रीमती सुदेवा लाल

बैठक में वन अधिष्ठाता अधिनियम 2006 नियम 2008
में वर्णित उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा विवेचने वाले
कार्यों पर चर्चा एवं विचारमिश्रित विमर्श किया गया इस बैठक में
निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया गया

क्र.सं.	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल	वनखण्ड का नाम
1	सीकर नगर परिषद क्षेत्र में देवीपुरा बीड की वन भूमि के 1.875 हे. क्षेत्रफल में उत्थापित विभिन्न उपचार संयंत्र के निर्माण हेतु वन भूमि परिवर्तन प्रस्ताव	1.875 हे.	देवीपुरा बीड
2	सीकर नगर परिषद क्षेत्र में नानी बीड की 2.48 हे. क्षेत्रफल में उत्थापित विभिन्न संयंत्र के निर्माण हेतु	2.48 हे.	नानी बीड
3	नगर परिषद सीकर में सांवली रोड से औद्योगिक क्षेत्र सीकर तक लिंक रोड हेतु देवीपुरा बीड वन भूमि 2006 पाठ में से 4.20 हे. क्षेत्र वन भूमि परिवर्तन प्रस्ताव	4.20 हे.	देवीपुरा बीड

उपरोक्त प्रस्तावों पर विचारविमर्श कर निर्णय
लिया गया कि - उक्त प्रस्तावों में वन भूमि को गैर वन भूमि
उपयोग में लेने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र में कोई वन हटिष्कारों
की मान्यता में वर्णित अनुसूचित जनजाती या अन्य परम्परागत
वन निवासीयों का कोई समुदाय या परिवार इस क्षेत्र में निवास
नहीं करता है। ऐसे जनजातीयों या समुदायों का कोई दावा
प्रामाणिक नहीं हुआ है। कोई दावा स्थापित या तर्कित नहीं है।
प्रस्तावित वन भूमि पर प्रारंभिक कृषक समुदायों के हित भी
प्रभावित नहीं होते हैं अतः वन भूमि प्रत्यावर्तन में कोई
इस हटिष्कार की कोई चारा प्रभावित नहीं होती है।

उपखण्ड अधिकारी सीकर